# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 69 / 2017 / (2017 / 00182) जिला–नागौर**

रामनिवास पुत्र जेठाराम उर्फ सेवाराम जाति खटीक निवासी नकास गेट नागौर जिला नागौर।

———अपीलार्थी

## बनाम

1. भंवरलाल पुत्र सूरजमल उर्फ बाबूलाल
2. सायरी पत्नि सुरजमल उर्फ बाबू लाल जाति खटीक निवासी नकास गेट, नागौर, जिला नागौर (फौत नाम तर्क किया)
3. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कृषि उपज मण्डी नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत चेनार तहसील व जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर
दिनांक 06–07–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 21 / 2014
बउनवान रामनिवास बनाम सरकार व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

## निर्णय

दिनांकः– 06–09–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष धारा–75 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता जेठाराम उर्फ सेवाराम की कब्जाशुदा एवं खातेदारी की आराजी ग्राम गंदीला बासनी के खसरा नम्बर 49 रकबा 38.19 बीघा है जो बाद में राजस्व एजेन्सी की त्रुटि के कारण सरकार के नाम बिलानाम दर्ज हो गई परन्तु उक्त भूमि अनवरत अपीलार्थी के पिता के कब्जे काश्त में ही रही है जो वर्तमान में बाद बंटवारा अपीलार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में है। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो द्वारा अपने नाम इंतकाल दर्ज होने एवं कब्जा करने का प्रयास किया गया तब अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत, चेनार द्वारा बिना समुचित जांच के अपीलार्थी को सुने बिना क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 1–10–1970 पारित कर दिया जो अवैध होने से निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने प्रत्यर्थी की बहस सुनकर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–07–2017 द्वारा अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर मानते हुए अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नागौर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने वक्त अपीलार्थी को आश्वासन दिया कि तुम्हे प्रत्येक तारीख पर आने की आवश्यकता नहीं है तथा आवश्यकता होने पर तुम्हें सूचना दी जाकर बुला लिया जावेगा। इस पर अपलार्थी विश्वास में रहा कि वकील साहब जरूरत होने पर बुला लेंगे। तत्समय अपीलार्थी अपने अभिभाषक से मिलने गया तब जानकारी हुई कि उसके प्रकरण में तो दिनांक 6–7–2017 को ही आदेश पारित कर दिया गया है तथा वकील द्वारा यह बताया गया कि अपीलार्थी को सूचना देने का काफी प्रयास किया गया। जिस पर आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 10–10–2017 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 11–10–2017 को न्यायालय के समक्ष अविलम्ब जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कारण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निस्तारित करते हुए अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि धारा 80 एल.आर.एक्ट के तहत बिना गुणावगुण पर एवं बिना तहत न्यायालय का रेकार्ड मंगवाये अपील को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को मियाद बाहर मानते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जबकि उनके समक्ष यह स्पष्ट था कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं उसके पिता जेठाराम को सुने बिना पारित किया गया है तथा इंतकाल पारित करने का ग्राम पंचायत को क्षैत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार इंतकाल संख्या 4 प्रारम्भ से शून्य होने एवं जानकारी के बाहर होने के कारण मियाद की बाध्यता लागू नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 में नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत जो प्रक्रिया दे रखी है उस प्रक्रिया को नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया है कि ग्राम पंचायत के समक्ष इंतकाल पारित करने बाबत कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जिस आदेश दिनांक 1–4–1970 का हवाला दिया गया है उक्त आदेश तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के पिता को सुने बिना पारित किया है जिसकी पालना में यदि इंतकाल पारित भी किया जाता है तो तहसीलदार द्वारा पारित किया जायेगा न कि ग्राम पंचायत द्वारा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक रूप से जांच कर नामान्तरकरण स्वीकार किया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि इंतकाल आदेश दिनांक 01–01–1970 में इंतकाल पारित करने बाबत लाईनबाद में बढ़ाई गई जो स्पष्ट है तथा इंतकाल में भी सरपंच के हस्ताक्षर बाबत तारीख पेशी में ओवर राईटिंग है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जकारी है। इस अवैध आदेश पर मियाद लागू नहीं होती है तथा ऐसे इन्तकाल को तुरन्त निरस्त करना आवश्यक है एवं विरासत के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में इंतकाल पारित करना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी तरह से सम्पूर्ण निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय में जों अंतिम पैरा में विवेचन किया है वह नोन स्पीकिंग विवेचन है। इस प्रकार जो विधिअनुरूप निर्णय पारित नहीं किया गया हो ऐसे आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित कथनों व अपनी बहस के समर्थन में 2008 आरआरडी. पेज 383, 2002 आर.आर.टी पेज 257 व 1989 आर. आर.डी पेज 45 की नजीरों का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि एबनिशियो वोईड आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसे काल बाधित नहीं माना जा सकता है। नजीर अनुसार 18 वर्षो बाद अपील पेश की जिसे संधारण योग्य माना गया है। साथ ही विरासत/उत्तराधिकार का नामान्तरकरण मात्र वाद विचाराधीन होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है हक अधिकारों बाबत यदि वाद विचाराधीन है तो भी वाद में निर्णय होने पर पुनः नय नामान्तरकरण पारित हो सकता है वाद बाद में पेश हुआ है और गलत विरासत बाबत नामान्तरकरण पहले ही पारित हो चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–7–2017 व सरपंच, ग्राम पंचायत चेनार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 1–10–1970 को खारिज किये जाने व अपीलार्थी के नाम इंतकाल पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत चेनार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 01–10–1970 बाद जांच सही स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 38.19 बीघा मौजा गंदीला बासनी बिलानामी भूमि थी जो नियमन पत्रावली संख्या 370/68 दिनांक 07–04–1970 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति सूरजमल उर्फ बाबूलाल वल्द रूपाराम खटीक के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी। पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, नागौर के न्यायालय में इसी भूमि बाबत राजस्व वाद संख्या 20/14 बउनवान रामनिवास बनाम भंवरलाल वगैरह विचाराधीन है। अपीलार्थी ने लगभग 47 साल बाद अपील को चुनौती दी है तथा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि एबनिशियो वोईड आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसे काल बाधित नहीं माना जा सकता है। माननीय न्यायालय ने 18 वर्ष बाद अपील पेश की जिसे संधारण योग्य माना है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। जबकि नियमों में प्रावधान है कि ऐसे आदेशों के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, नागौर से विवादग्रस्त आराजियात के मौके पर कब्जे संबंधी स्थिति

की जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि वर्तमान में खसरा नम्बर 49 रकबा 39.19 बीघा भूमि पर किसका कब्जा है। राजस्व ऐजेन्सी की त्रुटि के कारण उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि अन्य खातेदार को आवंटन हो गई। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत चेनार द्वारा भी नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 1–10–1970 के जारी करने बाबत साक्ष्य स्वरूप कोई रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत चेनार द्वारा अपीलार्थी को एवं उसके पिता को बिना सुने नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 01–10–1970 पारित किया है जो उचित नहीं है। विवादित आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 20/14 विचाराधीन होते हुए उक्त अपील निर्णय पारित कर दिया। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी पक्षकार के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों के मध्य विवादित आराजियात बाबत अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है। वाद के द्वारा ही पक्षकारों के हक अधिकार तय होने है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद बिन्दु पर ही खारिज कर दिया जबकि यदि प्रकरण गुणावगुण पर ठोस एवं सुदृढ़ है, तो मियाद के बिन्दू पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–07–2017 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा (1) अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–7–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 21/2014 बउनवान रामनिवास बनाम ग्राम पंचायत चेनार एवं (2) ग्राम पंचायत चेनार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 01–10–1970 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, नागौर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम गंदीला बासनी की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 49 रकबा 38.19 बीघा की मौके की स्थिति एवं अपीलार्थी के भूमि पर कब्जे काश्त एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विधिवित रूप से जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य एक नियमित राजस्व वाद संख्या 20/14 बउनवान रामनिवास बनाम भंवरलाल वगैरह भी विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों की घोषणा बाबत पारित निर्णय अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06–09–2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

**(भंवरलाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**